

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): STATE VIGILANCE BUREAU P.S. (थाना): SVB ROHTAK Year (वर्ष): 2020
 FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0004 Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 16/03/2020 13:25 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	120-B
2	IPC 1860	198
3	IPC 1860	201
4	IPC 1860	204
5	IPC 1860	420

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
 1 Day (दिन): Intervening Days Date from (दिनांक से): 01/01/2009 Date To (दिनांक तक): 31/12/2017
 Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 hrs Time To (समय तक): 00:00 hrs
- (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 16/03/2020 Time (समय): 12:40 hrs
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 009 Date and Time (दिनांक और समय): 16/03/2020 12:50 hrs

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): Written

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): EAST, 55 Km(s) Beat No. (बीट सं.):
 (b) Address (पता): sonipat,
 (c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):
 District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

- (a) Name (नाम): KALISH CHAND
 (b) Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):
 (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 07/03/1979 (d) Nationality (राष्ट्रियता): INDIA
 (e) UID No. (यूआईडी सं.):
 (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
 Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	BA /7AJANKPURI, BA /7AJANKPURI, KANJHAWALA, OUTER DISTRICT, DELHI, INDIA
2	Permanent Address	BA /7AJANKPURI, BA /7AJANKPURI, KANJHAWALA, OUTER DISTRICT, DELHI, INDIA

(ii) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9728581699

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सतपाल		राजेन्द्र सिंह	1. लेखाकार भगत फूल सिंह महिला, मेडिकल कालेज खानपुर कला, GOHANA SADAR, SONIPAT, HARYANA, INDIA
2	जितेन्द्र सरोहा			1. सचिव/संस्था निहाल सिंह, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल लहराडा, SONIPAT, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी तहरीर निम्नप्रकार से है कि जांच क्रमांक 07 दिनांक 10.08.17/सोनीपत महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृ0 क्रमांक 10227-28/आई-1/रा0चै0ब्यू0 हरियाणा दिनांक 16.08.2017 अनुसार दर्ज रजिस्टर होकर पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक के डायरी क्रमांक 2942 दिनांक 22.08.17 अनुसार जांच पड़ताल हेतु भेजी गई थी। जिसमें अन्य आरोपों के साथ साथ इस आरोप की पड़ताल की जानी थी। कि श्री सतपाल लेखाकार, भगत फूल सिंह, राजकीय महिला मेडिकल कालेज खानपुर कला, सोनीपत ने निहाल सिंह हाई स्कूल, लहराडा, सोनीपत से हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से रोल नं0 754216 अनुसार मार्च 1998 में दसवी कक्षा की परीक्षा दी थी। उसने अपने दसवी कक्षा के दस्तावेजों में अपनी माता का नाम बीरमती तथा जन्म तिथि 03.05.1980 दर्शाई है। जिसकी यह जन्म तिथि सी0एम0ओ0, सोनीपत कार्यालय में दर्ज है। लेकिन श्री सतपाल लेखाकार ने हेराफेरी करके सरकार को धोखे में रखकर नेशनल ओपन स्कूल दिल्ली से दसवी कक्षा पास की, जिसमें उसने अपनी माता का नाम रोशनी व अपनी जन्म तिथि 04.05.1986 दर्शाई हुई है। श्री सतपाल लेखाकार ने दो बोर्डों से दसवी की परीक्षा दी हुई है और दोनों में जन्म तिथि व माता का नाम अलग-2 दर्शाया हुआ है। भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कालेज खानपुर कला सोनीपत में श्री सतपाल लेखाकार ने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के प्रमाण पत्रों पर गलत तरीके से नौकरी हासिल की हुई है। आरोपों की पड़ताल निरीक्षक कैलाशचन्द राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र सोनीपत द्वारा पुलिस अधीक्षक, राज्य चैकसी ब्यूरो, रोहतक मण्डल रोहतक की सीधी देख-रेख में की गई है। पड़ताल के दौरान प्राप्त प्रलेखों, कथनों अनुसार प्रतिवादी सतपाल पुत्र राजेन्द्र वासी बैयापुर, सोनीपत की नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा वर्ष 2009 में स्टेनो/टाईपिस्ट के पद पर स्वास्थ्य विभाग में होनी पाई गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में नियुक्ति के समय अपनी जन्म तिथि के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मुक्त विधालय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली से अनुक्रमांक 05एम-932452 अनुसार वर्ष 2004-05 में उत्तीर्ण की गई दसवी कक्षा की मार्क सीट लगाई हुई है। जिसमें प्रतिवादी सतपाल की जन्म तिथि दिनांक 03.05.1986 अंकित है। प्रतिवादी वर्ष 2015 से भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कालेज खानपुर कला, सोनीपत में बतौर लेखाकार पद पर ट्रांसफर पोलिसी के तहत तैनात होना पाया गया। मेडिकल कालेज खानपुर में नियुक्ति के दौरान प्रतिवादी द्वारा जमा कराये गये दस्तावेजों अनुसार राष्ट्रीय मुक्त विधालय शिक्षा संस्थान नई दिल्ली से वर्ष 2007-08 में बाहरवी कक्षा तथा वर्ष 2012 में महर्षि दयानन्द विश्वविधालय रोहतक से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की गई है। राष्ट्रीय मुक्त विधालयी शिक्षण संस्थान, क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ और राष्ट्रीय मुक्त विधालयी शिक्षण संस्थान, नोएडा से प्राप्त किये गये रिकार्ड अनुसार 10 वी कक्षा की मार्क सीट सही पाई गई है। प्रतिवादी सतपाल द्वारा अपनी उपरोक्त दसवी, 12वीं एवं स्नातक की मार्क शीटों में उसकी माता का नाम रोशनी देवी लिखा हुआ है जबकि उसकी माता का नाम बीरमती है। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त जन्म तिथि एवं माता का नाम गलत होने की

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

शिकायत होने के उपरान्त राष्ट्रीय मुक्त विधालय शिक्षा संस्थान के रिकार्ड/मार्क शीट में माता के नाम पर श्रीमति रोशनी देवी के नाम को ठीक करवाने के लिए निहाल सिंह सिनियर सैकण्डरी स्कूल के माध्यम से राष्ट्रीय मुक्त विधालय शिक्षा संस्थान के साथ पत्राचार करना पाया गया है। प्रतिवादी को अपनी माता के नाम के सम्बन्ध में अच्छी तरह जानकारी थी, लेकिन प्रतिवादी सतपाल ने अपने अध्ययन काल से लेकर वर्ष 2017 तक अर्थात् शिकायत होने से पूर्व जानबूझकर अपनी गलती छुपाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के रिकार्ड से पडताल करने पर शिकायत अनुसार रोल न0 754216 मार्च 1998 अनुसार बोर्ड की परीक्षा के परिणाम/गजट अनुसार परीक्षार्थी का नाम सतपाल सिंह, पिता का नाम राजेन्द्र सिंह, जन्मतिथि 03.05.1980, परीक्षा परिणाम कम्पार्टमेंट विषय-हिन्दी व राजनैतिक विज्ञान और विधालय का नाम निहाल सिंह हाई स्कूल लहराडा, सोनीपत होना पाया गया है। रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु कार्यालय सोनीपत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र व गांव बैयापुर के जन्म रजिस्टर के आधार पर प्रतिवादी सतपाल पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह के प्रतिवादी की जन्म तिथि 4-5-1980 दर्ज है और रजिस्ट्रेशन तिथि 20.5.1980 है। माता का नाम बीरवती तथा प्रतिवादी के दादा का नाम सरूप लिखा है इसके अतिरिक्त रजिस्टर में प्रतिवादी के पिता राजेन्द्र सिंह व उसकी माता बीरमति की शिक्षा 10वीं व 11वीं लिखी हुई है और प्रतिवादी के पिता राजेन्द्र सिंह के व्यवसाय के कालम में फौज शब्द लिखा हुआ है। जांच के दौरान पाया गया है कि प्रतिवादी सतपाल के पिता राजेन्द्र सिंह केन्द्रीय सरकार की संस्था राँ (RAW) से सेवानिवृत्त होना बतलाया गया है। प्रतिवादी के माता पिता की शिक्षा का इन्द्राज भी जन्म रजिस्टर में ठीक लिखा हुआ है जिससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादी सतपाल की वास्तविक जन्म तिथि 4.5.1980 है। जिला निवारण कार्यालय, सोनीपत के रिकार्ड से पाया गया है कि गांव बैयापुर में सतपाल पुत्र राजेन्द्र नाम का दूसरा व्यक्ति भी है। कार्यालय के रिकार्ड अनुसार प्रतिवादी सतपाल के पहचान पत्र संख्या BLB1968593 में जन्म तिथि 03.05.1986 अंकित है तथा गांव के दूसरे सतपाल पुत्र राजेन्द्र वासी बैयापुर का पहचान पत्र संख्या YTI 0429506 में 8वीं कक्षा पास है, उसकी माता का नाम श्रीमती ओमो है और उसकी जन्म तिथि 12.02.1980 अंकित है। निहाल सिंह हाई स्कूल लहराडा, सोनीपत स्कूल के प्रशासन द्वारा अपने पत्र क्रमांक एन0 एस0 एस0/2017-18/ए0ई0-266 दिनांक 8.9.2017 अनुसार प्रतिवादी सतपाल के प्राथमिक कक्षाओं से नवी कक्षा तक अध्ययन करने से सम्बन्धित वर्ष 1997-98 का रिकार्ड गुम होना बतलाया गया है। स्कूल प्रशासन द्वारा दिनांक 8.4.2017 को हरियाणा पुलिस सिटीजन सर्विसज पोर्टल पर अपनी रिकार्ड की गुमशुदगी बारे रिपोर्ट दर्ज करवाने बारे प्रस्ताव पारित किया गया। जबकि इस दौरान प्रतिवादी की जन्म तिथि विवाद के सम्बन्ध में शिकायत की छानबीन की जा रही थी। श्रीमती सुमित्रा, सहायक प्रशासनिक, निहाल सिंह सीनियर सैकण्डरी स्कूल सोनीपत के कथन अनुसार वर्ष 2013-14 से पहले का सारा रिकार्ड स्कूल से गुम होना बतलाया गया। प्रतिवादी सतपाल के दूसरे भाई प्रतिवादी वेदपाल के उपरोक्त स्कूल में अध्ययन करने से सम्बन्धित रिकार्ड अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एन0एस0एस0/2017-18/ए0ई0 - 267 दिनांक 8.9.2017 अनुसार प्रस्तुत किया है जिससे प्रतीत होता है कि स्कूल प्रशासन द्वारा प्रतिवादी सतपाल के अध्ययन करने से सम्बन्धित रिकार्ड जानबूझकर गुम करना दिखलाया है। स्कूल प्रशासन द्वारा अपने रिकार्ड के गुम होने के सम्बन्ध में वैबसाईट पर दर्ज कराई गई शिकायत की कोई पैरवी नहीं करनी पाई गई यहा तक कि यह भी छानबीन नहीं की गई कि क्या उनकी लिखाई गई गुमशुदगी की रिपोर्ट सम्बन्धित पुलिस थाना में प्राप्त हुई है या नहीं। इसी प्रकार स्कूल प्रशासन द्वारा अपने रिकार्ड के सम्बन्ध में यह भी जानकारी प्राप्त नहीं की गई कि, स्थानीय पुलिस द्वारा उनकी शिकायत पर क्या कार्यवाही हुई है स्कूल प्रशासन के रिकार्ड की दर्ज गुमशुदगी रिपोर्ट के सम्बन्ध में पत्र क्रमांक 342 दिनांक 19.9.2017 अनुसार पडताल करने पर थाना सदर सोनीपत की रिपोर्ट से पाया कि उपरोक्त दर्ज गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट थाना में प्राप्त नहीं हुई और ना ही इस सम्बन्ध में रिकार्ड उपलब्ध है। रोल न0 754216 की मार्कशीट में जन्म तिथि 03.05.1980 दर्ज है और रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु कार्यालय सोनीपत के रिकार्ड में प्रतिवादी सतपाल की जन्म तिथि 04.05.1980 वर्णित है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी वर्ष 1998 में हरियाणा विधालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से दसवी कक्षा में appear हुआ था लेकिन हरियाणा शिक्षा बोर्ड, भिवानी से दसवी की परीक्षा में उत्तीर्ण ना होने के कारण प्रतिवादी द्वारा निहाल सिंह सीनियर सैकण्डरी स्कूल लहराडा के माध्यम से ओपन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष 2005 में की है। प्रतिवादी सतपाल द्वारा उपरोक्त समय के अन्तराल को छुपाने के लिये ओपन स्कूल से दसवी की परीक्षा में दाखिला दिखाते समय अपनी जन्म तिथि दिनांक 4.5.1980 की बजाय 3.5.1986 दिखाई है यही तिथि दसवीं के अनुतीर्ण परिणाम में 3.5.1980 दर्ज है। प्रतिवादी सतपाल द्वारा जमा करवाये गये दस्तावेजों को तथा ओपन स्कूल से दसवीं की परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये प्रतिवादी के जन्म प्रमाण पत्रों में दिनांक 4.5.1980 के स्थान पर दिनांक 3.5.1986 करने से सम्बन्धित तैयार किये गये दस्तावेजों की मूल प्रतियों को निहाल सिंह वरिष्ठ माध्यमिक विधालय लहराडा, सोनीपत के रिकार्ड से नष्ट करने या गायब करने की जिम्मेवारी प्रतिवादी श्री जितेन्द्र सरोहा, सचिव/मालिक संस्था निहाल सिंह, वरिष्ठ माध्यमिक विधालय, लहराडा, सोनीपत की बनती है क्योंकि प्रतिवादी श्री जितेन्द्र सरोहा द्वारा ही उपरोक्त जांच आरम्भ होने के बाद पुलिस थाना में रिकार्ड गुम होने की दिनांक 08.04.17 को आन लाईन सूचना देनी पाई गई है। स्कूल का रिकार्ड इस संस्था के सचिव/मालिक श्री जितेन्द्र सरोहा की कस्टडी में ही रहता था। रिकार्ड गुम होने की सूचना आनलाईन देने के उपरान्त कोई कार्यवाही/ पैरवी नहीं की गई। यदि वास्तव में रिकार्ड गुम होता तो प्रतिवादी जितेन्द्र सरोहा अपने रिकार्ड को दूढ़ने का भरसक प्रयास करता। जबकि उसके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। जिससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादी जितेन्द्र सरोहा ने सतपाल से मिलीभगत करके जन्मतिथि से सम्बन्धित रिकार्ड को जानबूझकर गायब किया है। प्रतिवादी सतपाल द्वारा अपनी वास्तविक जन्म तिथि को छुपाकर ओपन स्कूल से 10वीं कक्षा की परीक्षा में appear होने के लिये श्री सुधीर सरोहा तत्कालीन प्रधानाचार्य/संस्थापक, निहाल सिंह सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रशासन के साथ मिलीभगत करके रिकार्ड में जन्म तिथि 3.5.1986 दर्ज करवाकर तथा जन्म तिथि के आधार पर प्राप्त शिक्षा प्रमाण पत्रों में अपनी आयु छिपाकर सरकारी नौकरी में आवेदन व नियुक्ति में फायदा उठाने के उद्देश्य से अपनी आयु छुपाने का कार्य किया लेकिन श्री सुधीर सरोहा तत्कालीन प्रधानाचार्य/संस्थापक की मृत्यु दिनांक 22.9.2014 को हो चुकी है। अतः प्रतिवादी सतपाल पुत्र राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 198/420/201/204/120बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध मुकदमा दर्ज करने वा प्रतिवादी जितेन्द्र सरोहा सचिव/मालिक संस्था निहाल सिंह वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, लहराडा, सोनीपत के विरुद्ध धारा 420,201,204,120बी0 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने की सिफारिश सहित रिपोर्ट महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पत्र क्रमांक 19611/रा0चै0ब्यू0(ह0) दिनांक 20.12.2019 अनुसार मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग को भेजी गई थी जो अब मुख्य सचिव हरियाणा सरकार, चैकसी विभाग के प्रष्ठांकन क्रमांक 49/65/2017-4चै0-1 दिनांक 31.01.2020 की अनुपालना में महानिदेशक, राज्य चैकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 1666/आई-5रा0चै0ब्यू0 (ह0) दिनांक 4.2.2020 अनुसार प्रतिवादी सतपाल पुत्र राजेन्द्र सिंह के विरुद्ध धारा 198/420/201/204/120बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध मुकदमा दर्ज करने वा प्रतिवादी जितेन्द्र सरोहा सचिव/ मालिक संस्था निहाल सिंह वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, लहराडा, सोनीपत के विरुद्ध धारा 420,201,204,120बी0 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आपराधिक मामला दर्ज किये जाने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। अभियोग दर्ज रजिस्टर करके अफसरानबाला को बजरिया टेलिफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाए व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाए ।

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

अभियोग में आगामी अनुसंधान अमल में लाया जाएगा। हस्ता- (कैलाशचन्द) निरीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो, उपकेन्द्र सोनीपत। अज थाना उपरोक्त लिखित तहरीर थाना हजा में प्राप्त होने पर मु0न0 04 दिनांक 16.03.2020 जेर धारा 198/420/201/204/120बी भारतीय दण्ड संहिता थाना राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक दर्ज रजिस्टर किया गया है कम्प्यूटर प्रतिया प्रथम सूचना रिपोर्ट बजरिया ईमेल राज्य चौकसी ब्यूरो के सम्बन्धित अफशरान बाला को भेजी जा रही है नकल मिशाल पुलिस मय असल तहरीर हस्ब आदेश पुलिस अधीक्षक राज्य चौकसी ब्यूरो रोहतक आगामी अनुसंधान हेतु Complaint file page No. 1-59, Statement file page No. 1-27, Police file page No. 1-115, Document file No page. No.1-186 निरीक्षक प्रदीप कुमार रा0चौ0ब्यूरो रोहतक को दी जाएगी। उपरोक्त मुकदमा थाना प्रबन्धक के कोड से निरीक्षक राकेश कुमार की हाजीरी में दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): PARDEEP Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): PSI to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)



Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Rakesh Kumar

Rank (पद): Inspector

No. (सं.): PS

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):